0131

प्रारूप–2

(नियम 8 क का उप–नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा–5/फा–मान्यता/झोट./ 131 /2012 दिनांकः– 5.10.12

संस्था सचिव

वी. सी. चिल्ड्रन्स एकेडमी (अंग्रेजी माध्यम)
कृष्णापुरी, हरमाड़ा,
जयपुर

विषयः– नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक .... और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. जयपुर (विद्यालय का नाम और पता) वी. सी. चिल्ड्रन्स एकेडमी, कृष्णापुरी, हरमाड़ा को 01/4/12 से — तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा नर्सरी से आठवीं तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूं।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगीः–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्दीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय, कक्षा–1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्हीत नहीं करेगा और बालक या असके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।

6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

(i) विद्यालय मे प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा ;

(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;

(iii) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ;

(v) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये ;

(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें ;

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते है, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं ; और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगें।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्विवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :– (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र–प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र

- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा
- मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
- अवरोध मुक्त पहुंच
- अध्यापन विज्ञता सामग्री / खेल–कूद उपस्कर / पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता हैं।

13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

के. पी. आर./झोट./आर.टी.ई./ 131 दि. 5.10.12

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड़ संख्या (RJ/BEEO/JH/JPR/2012-13/...............) हैं। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा / जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिचित करें।

17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

ब्लॉक प्रार. शिक्षा अधिकारी
झोटवाड़ा (जयपुर)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार एवं निदेशालय बीकानेर के निर्देशानुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत निर्धारित शुल्क राशि का डी0डी0 एवं दस्तावेज के आधार पर संस्था को वर्तमान नाम से नवीन नाम परिवर्तन किये जाने की अभिशंषा के आधार पर निम्न मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्था का वर्तमान नाम उनके सम्मुख अंकित संशोधित नाम से परिवर्तन करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	नाम विद्यालय	संशोधित नाम
1	वी0सी0 चिल्ड्रन्स एकेडमी, 37–42 कृष्णापुरी, हरमाडा, सीकर रोड, जयपुर	आदि इन्टरनेशनल स्कूल, 37--42, कृष्णापुरी, हरमाडा, सीकर रोड, जयपुर

उक्त वर्णित संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 की तथा समय–समय पर जारी नियम/निर्देशों की पालना करनी होगी, नियमों की अवहेलना पायी जाने पर नियमानुसार स्वीकृतियां निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास रहेगा। साथ ही संशोधित नाम से पूर्व के विद्यालय से संबंधित सभी प्रकरण की समस्त जिम्मेदारी उक्त विद्यालय की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी 21X16
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा–5/नाम परि./628 /2016 दिनांक: 21/10/16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित संस्था प्रधान आदि इन्टरनेशनल स्कूल,37–42, कृष्णापुरी, हरमाडा, सीकर रोड, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली।

21X10
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर